न्ययालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :—उम्मेद सिह रतनू आर.ए.एस.
प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धाराः— 251 (ए) आर.टी.ए.
प्रार्थना—पत्र नम्बरः—28 / 2019

1 अक्षय कुमार पुत्र विजय सिंह
2 शारदादेवी पत्नि विजय सिंह
} जाति जाट सा. लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

—प्रार्थीगण

बनाम

1. जगतार सिंह उर्फ तारा सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख सा. लीलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. तेजा सिंह पुत्र करनैल सिंह
3. मन्दर सिंह पुत्र सुरजन सिंह
4. सुखपाल सिंह पुत्र सुरजन सिंह

} जाति जटसिख सा. लीलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।

5. विद्या देवी पत्नि मनीराम
6. अमरजीत सिंह
7. रविकान्त
8. मनोज कुमार

} पि. मनीराम } जाति जाट सा. लीलांवाली तह.संगरिया।

9. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 03.06.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से चक नं.4 एम.एम.के. खाता स. 106 / 79 खाता लक्षमीनारायण वगैरा ज.स. 2069—72 मे जरिए इन्तकाल स. 760 के अनुसार 15.897 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की नकल जमाबन्दी संलगन प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीगण अपने कब्जा काश्त की आराजी में से चक नं. 4 एम.एम.के.प.नं. 157 / 205 मु. नं. 44 के किला नं. 6—7—14—15—16—17—24—25 में सिंचाई की सुविधा का पर्याप्त साधन नहीं है तथा उक्त आराजी में प्रार्थीगण चक नं. 4 एम.एम.के.प.नं. 158 / 202 मु.नं. 16 के किला नं. 5—6—15—16 व 25 तथा प.नं. 158 / 202 मु.नं. 25 के किला नं. 5 तथा प.नं. 158 / 205 मु.नं. 45 के किला नं. 8—9 व 10 में से होते हुए पाईप लाईन स्वीकार करवाना चाहते है ताकि प्रार्थी अपने खेत में सुचारू रूप से अपने टयूबवैल का पानी लगा कर अपनी फसले पाल सके। उपरोक्त वर्णित आराजी में से चक नं. 4 एम.एम.के. प.नं. 158 / 202 मु.नं.16 के किला नं. 5 / 1 / .057 है0 आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खाता संख्या 47 / 46 खाता जगतार सिंह ज.सं. 2069—72 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। इसी प्रकार उपरोक्त चक के प.नं. 158 / 202 मु.नं. 16 के किला नं. 5—6—15 व 16 अप्रार्थी सं. 2 के नाम खाता संख्या 60 / 46 खाता तेजा सिंह ज.सं. 2069—72 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी जमाबन्दी संलग्न है तथा प.नं. 158 / 202 मु. नं. 16 के किला नं. 25 की आराजी अप्रार्थी संख्या 3 के नाम खाता संख्या 93 / 30 खाता मन्दर सिंह ज.सं. 2069—72 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प.नं. 158 / 203 मु.नं. 25 के किला नं. 5 की आराजी अप्रार्थी संख्या 4 के नाम खाता संख्या 138 / 30 खाता सुखपाल सिंह ज.सं. 2069—72 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जबकि प.नं. 158 / 205 मु.नं. 45 के किला नं. 8—9 व 10 की आराजी अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 के नाम खाता संख्या 106 / 79 ज.सं. 2069—72 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनकी जमाबन्दीया संलग्न प्रार्थना पत्र है जो प्रार्थना—पत्र का आधार है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप चक नं. 4 एम.एम.के प. नं. 158 / 202 मु.नं.16 के किला नं. 5—6—15—16 व 25 में तथा प.नं. 158 / 203 मु.नं. 25 के किला नं. 5 में उतर से दक्षिण पत्थर लाईन के साथ साथ तथा प.नं.158 / 205 मु.नं.45 के किला नं. 8—9 व 10 में पुर्व से पश्चिम किला नं. 1—2 व 3 से चिपती हुई आराजी में

से पाईप लाईन डलवा लेने दो व इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे पाईप लाईन मन्जूर करवा लेने दो तो इस पर अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए। बस यही विनाय प्रार्थना–पत्र है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 नोटिस तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर उक्त पाईप लाईन बाबत अपनी सहमति प्रदान की गई व साथ में हस्ताक्षर सहित अपनी आईडी प्रतियां भी पेश की गई। पाईप स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक रीडर/2096/321 दिनांक 08.04.2019 द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही गई। इस न्यायालय के पत्र की पालना में उनके कार्यालय से मौका व जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक राजस्व/पाईप–लाईन/2019/322 दिनांक 26.4.2019 के द्वारा पाईप लाईन डालने की स्वीकृति दिये जाने की अभिशंषा की गई जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की मौका जांच रिपोर्ट तथा पत्रावाली में अन्य दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी की मांग/सिंचाई सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पाईप लाइन स्वीकृति जारी करने का आदेश निम्न शर्त पर पारित किया जाना उचित प्रतीत होता हैः–

1. कटाणी स्थानों में से आने वाले रास्ता व खाला को कोई नुकसान नहीं पहुंचे तथा रास्ता में कभी भी आवागमन में बाधा नहीं हो।
2. पाईप लाईन कम से कम 3 फीट गहरी जमीन के अन्दर होना आवश्यक है अन्य कृषकों को दुविधा नहीं हो।
3. प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मांग नहीं करेगा।
4. शर्तो की उल्लंघन पर पाईप लाईन की स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
5. प्रार्थीगण द्वारा डाली गई पाईप लाईन लिकेज होने पर प्रार्थीगण लिकेज पाईप को सही करने के लिए पाबन्द रहेगा।
6. पाईप लाईन डालते समय किसी भी काश्तकार की फसल का या अन्य किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो।
7. पाईप लाईन डालने के बाद खाई में वापस मिट्टी डालकर खाई को समतल करने के लिए पाबन्द रहेगें।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र 251–ए आरटीए तहसीलदार संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार व उक्त शर्तो एवं अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 की सहमति के आधार स्वीकार किया जाता है कि चक नं.4 एम.एम.के प.नं. 158/202 मु.नं.16 के किला नं. 5–6–15–16 व 25 में तथा प.नं. 158/203 मु.नं. 25 के किला नं. 5 में उतर से दक्षिण पत्थर लाईन के साथ साथ तथा प.नं.158/205 मु.नं.45 के किला नं. 8–9 व 10 में पुर्व से पश्चिम किला नं. 1–2 व 3 से चिपती हुई आराजी में से 3 फुट गहरी सिंचाई पाईप डालने की स्वीकृति दी जाती है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त किलों में से 3 फुट गहरी डाली गई सिंचाई पाईप लाईन में अप्रार्थीगण कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेंगें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया